न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओमप्रकाश बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 205/2023

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1. सुरेन्द्रसिंह पुत्र गिरधारीसिंह 2. भोमसिंह पुत्र गिरधारीसिंह 3. महेन्द्रसिह पुत्र गिरधारीसिंह 4. कुन्दनसिंह पुत्र गिरधारीसिंह 5. श्रीमती भंवरकंवर पत्नी गिरधारीसिंह जातियान– राजपूत निवासी– हिम्मत नगर, पीलवा तहसील देचू जिला जोधपुर।		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, देचू जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश कमांक प्र0ग0सं0/2021/1079 दिनांक 20.12.2021 जो उपखण्ड अधिकारी, लोहावट के द्वारा पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1– श्री नरपतसिंह चम्पावत, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।

2– श्री नवल सिह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 18 सितम्बर ,2023

उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्टस के द्वारा यह अपील अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा उल्लेखित प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 20.12.2021 के विरूद्ध पेश की गई है जिसके द्वारा ग्राम रामसागर तहसील देचू के ख0सं0 2391/4, 2391, 2352, 2351/1, 2351 में चल रहे कदीमी रास्ते को राजस्व रेकर्ड में रास्ते के रूप में अमल दरामद किये जाने के अपीलाधीन आदेश प्रसारित किये गये है।

अपीलान्ट के द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को माफ करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों के आधार पर अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है।

दौरान सुनवाई अपीलान्ट अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अपीलान्टस का संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा संख्या 2352 कुल रकबा 3.2456 हैक्टर ग्राम रामसागर में आया हुआ है जिसमें किसी प्रकार का कदीमी रास्ता नहीं चल रहा है तथा न ही पूर्व में कभी रास्ता चलायमान था, न ही किसी व्यक्ति ने रास्ते देने बाबत आवेदन किया था,

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा किसी प्रकार का प्रार्थना पेश नहीं होने के उपरान्त और बिना प्रकरण दर्ज किये ही अपीलान्टस के फर्जी हस्ताक्षर व अंगुष्ठ निशान करवाकर पटवारी हल्का द्वारा ग्राम पंचायत के सरपंच से मिलीभगत कर रिपोर्ट तैयार करवा ली और अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रिपोर्ट पेश कर दी और उस रिपोर्ट के आधार पर उपखण्ड अधिकारी, लोहावट द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त करने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय की ओर से की गई कार्यवाही राज0 सरकार के परिपत्र के अनुसरण में पटवारी हल्का की प्रस्तुत मौका फर्द पर की गई, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी प्रकार का प्रकरण दर्ज किये बिना अपीलान्टस को नोटिस जारी किया बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये ही दिनांक 20.12.2021 को अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो स्पीकिंग आदेश नहीं होने से निरस्त करने योग्य है।

अपीलान्टस के योग्य अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के विपरित है क्योंकि आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्टस को सुनवाई का कोई नोटिस नहीं दिया गया और न ही सुनवाई का अवसर भी नहीं दिया गया। अपीलान्टस संख्या 4 भारतीय थल सेना में सेवारत है और उक्त रिपोर्ट के समय वो डयूटी पर तैनात थाए ऐसे में उसके हस्ताक्षर नहीं हो सकते है। इसके अतिरिक्त उक्त ख0सं0 2352 संयुक्त खातेदारी का है और हमारे /खातेदारों के मध्य कोई बंटवाडा नहीं हुआ है। तथा ख0सं0 2391/4, 2391/1, 2351 के खातेदारों की भूमि आई हुई है। जिन सभी खातेदारों के खसरान की भूमि में पूर्व में कटाणी रास्ता लगता है लेकिन उसके बावजूद भी ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा हमसे आपसी रंजिश रखते हुए पटवारी व तहसीलदार से मिलीभगत करके पटवारी से मौके की गलत रिपोर्ट बनाकर फर्जी तरीके से 30–40 वर्ष पूर्व का रास्ता संचालित होना बताकर अपीलान्टस के फर्जी हस्ताक्षर/अंगुष्ठ निशान करके पेश कर दी और अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा बिना किसी प्रकार की जॉच करवाये बिना सहमति लिये अपीलान्टस के खेत के पूरे हिस्से में से जमीन को अलग टुकडों में विभाजित करते हुए रास्ता काट दिया जबकि उक्त सभी खसरान के पूर्व में रास्ता राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद है तथा पूर्व में चल रहा है। इसलिये ऐसे अपीलाधीन आदेश की आवश्यकता नहीं थी।

अपीलान्टस के योग्य अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 10.8.2016 अनुसार चालू स्थाई रास्ते का राजस्व अभिलेख में अंकन की कार्यवाही की जायेगी और सिर्फ वर्ष 2016 में अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर 03 माह तक ही

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

ये शक्तियॉ दी गई थी जिसके बाद केवल मात्र राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–ए के तहत ही रास्ता दिया जा सकता था तथा रास्ते की भूमि की क्षतिपूर्ति दी जायेगी मगर इन कानूनी बिन्दुओं को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नजरअंदाज कर दिया गया और राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 131, 132 व 136 के तहत आदेश पारित कर दिया है जो उपखण्ड अधिकारी के क्षैत्राधिकार में नहीं आता है।

अपीलान्ट अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की जानकारी ग्राम पंचायत सरपंच द्वारा रास्ता निकालने की धमकी दी और हमारी कृषि भूमि में से गैर मुमकीन रास्ता दर्ज करवाने का आदेश अधीनस्थ न्यायालय से पारित करवाने का बताया तथा रास्ता निकलवाकर ग्रेवल सडक बनाने का कार्य करने की धमकी दी। तथा अपीलान्टस को उक्त आदेश की जानकारी हुई। तब अपीलान्टस के द्वारा दिनांक 20.5.23 को नकले ली जाकर यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की है जिसे अन्दर म्याद मानी जाकर गुणावगुण पर निर्णित की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.12.2021 नियम विरूद्ध एवं प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के विपरित होने से निरस्त किया जावे एवं उसके पश्चातवृति की गई कार्यवाही को भी निरस्त किया जावें।

प्रत्युतर में रेस्पोडेन्ट की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार देचू की ओर से प्रस्ताव पेश कर ग्राम ख0सं0 2391/4, 2391, 2352, 2351/1, 2351 में चल रहे कदीमी रास्ते को सम्बन्धित खातेदारों की खातेदारी में रखते हुए राजस्व रेकर्ड मे रास्ता दर्ज करने के आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उक्त रिपोर्ट/प्रस्ताव को स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश के द्वारा उक्त खसरान भूमि में चल रहे कदीमी रास्ते की भूमि/भाग को राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकीन रास्ता दर्ज करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो उचित होने से यथावत बहाल रखा जावें।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजो, अपीलांधीन आदेश दिनांक 20.12.2021 का अवलोकन किया गया। जिससे यह पाया गया कि तहसीलदार देचू की ओर से प्रस्ताव पेश कर ग्राम ख0सं0 2391/4, 2391, 2352, 2351/1, 2351 में कदीमी रास्ता चालू होने तथा होना दर्शाया जिसके रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है परन्तु आदेश पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वर्तमान अपीलान्टस को विधिवत नोटिस तामील नहीं करवाये गये है। इसके अतिरिक्त अपीलान्ट के ख0सं0

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

2352 में से अपीलान्ट के द्वारा भी किसी प्रकार से रास्ते की मांग नहीं किया जाना पाया गया है और न ही अन्य खातेदार की ओर से ऐसा रास्ता दिये जाने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। तहसीलदार की ओर से प्रेषित मौका रिपोर्ट में भी अपीलान्ट के खसरे की माठ के दोनों तरफ रास्ता का अमल दरामद होना लेकिन मौके पर सीएबी रास्ता नहीं होना तथा मौके पर झाडिया खडी होना दर्शाया है और बिन्दु संख्या जी से एफ तक अंकित रास्ता चालू होना बताया है। इस प्रकार समस्त तथ्यों पर गौर करने के उपरान्त अपीलान्ट की अपील आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य होने तथा अपीलान्ट के खसरान भूमि में से रास्ता घोषित किये जाने बाबत तक पारित आदेश को निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों पर विवेचन एवं विशलेषण के परिणामस्वरूप अपील अपीलान्टस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, लोहावट के के आदेश दिनांक 20.12.2021 में क्रम संख्या 3 पर अंकित अपीलान्ट के खसरा संख्या 2352 की रकबा भूमि में से रास्ता अमल दरामद किये जाने बाबत पारित आदेश को निरस्त किया जाता है। शेष आदेश यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 18 सितम्बर, 2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

18/9/23

(ओम प्रकाश बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर